

Deoghar News : नकली पार्ट्स की बिक्री मामले में तीन दुकानदारों पर प्राथमिकी दर्ज



मधुपुर. शहर के तीन बाइक पार्ट्स दुकानदारों के खिलाफ नकली पार्ट्स बेचे जाने का मामला थाना में दर्ज कराया गया है. टीवीएस कंपनी के अधिकृत जांच पदाधिकारी विप्लव विश्वास के शिकायत पर पुलिस ने मामला दर्ज किया है. मामले में शहर के बेलपाड़ा लार्ड सिन्हा रोड राजू टायर्स दुकानदार रसीद हुसैन, राजा ऑटो पार्ट्स दुकानदार आशीफ हुसैन व स्टेशन रोड स्थित ऑटो मोबाइल दुकानदार देवानंद वर्णवाल को आरोपित बनाया है. कंपनी के अधिकृत जांच पदाधिकारी में पुलिस को बताया कि कंपनी ने उन्हें बाजार में बिक रहे असली और नकली पार्ट्स को जांच करने का अधिकार कंपनी के द्वारा प्राप्त है. उन्हें सूचना मिली कि मधुपुर में टीवीएस कंपनी का नकली पार्ट्स की बिक्री कुछ दुकानदारों द्वारा की जा रही है. नकली सामान बेचकर जनता के साथ धोखा किया जा रहा है. इससे कंपनी को आर्थिक नुकसान पहुंच रहा है. सूचना पर वे अपने कंपनी के सहयोगी के साथ मधुपुर आये. मधुपुर थाना के सहयोग से तीनों आरोपित की दुकानदारों की दुकान जांच की. जांच के क्रम में टीवीएस मोटर फिल्टर ब्रेकशू, फिल्टर होल्डर, हेयर क्लीनर आदि नकली सामान पाया. पुलिस की मौजूदगी में कंपनी के अधिकारी नकली पार्ट्स को जब्त कर थाना लाया. पुलिस ने इस मामले में कॉपीराइट सुसंगत धाराओं के तहत प्राथमिकी दर्ज की है.

Source: <https://www.prabhatkhabar.com/state/jharkhand/deoghar/fir-lodged-under-relevant-sections-of-copyright>